न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण । (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 103/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/307
दायर दिनांक :– 20.06.2024 निर्णय दिनांक :– 30.01.2026

1. अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीकृष्णनगर तह. आउ जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी की कब्जासुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 609 रकबा 16.1874 हैक्टेयर 1/5 हिस्सा सरदह मौजा आजादनगर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी का नाम अपनी मनमर्जी एंव सरसरी गलत रूप से अर्जुनसिंह पुत्र जोगसिंह कर दिया जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह है और प्रार्थी के पहचान संबंधित दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह के नाम से बने हुए है तथा प्रार्थी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थी के नाम से ग्राम श्रीकृष्णनगर पटवार हल्का श्रीकृष्णनगर तहसील आउ के खसरा नम्बर 1742/2358, खसरा नम्बर 1742/9 में भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह दर्ज है। इसलिये पार्थी ग्राम आजादनगर के खसरा नम्बर 609 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवा अपने गलत नाम अर्जुनसिंह पुत्र जोगसिंह के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है जिसका यह राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम आजादनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 609 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जाकर अर्जुनसिंह पुत्र जोगसिंह के स्थान पर अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में सुमेरसिंह पुत्र जोगसिंह व प्रार्थी अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह ने शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि ग्राम आजादनगर

Satya
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 609 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2077–2080 में प्रार्थी का नाम अर्जुनसिंह पुत्र जोगसिंह 1/5 हिस्सा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 750 मौजा कानसिंह की सिड प्रार्थी अर्जुनसिंह पुत्र जोगसिंह व अन्य के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया। वर्तमान में प्रार्थी का नाम अर्जुनसिंह पुत्र जोगसिंह राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ–पत्र तहसीलदार बाप के जवाब, अन्य खेत खसरान् की जमाबंदी इत्यादि से साबित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम आजादनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 609 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम अर्जुनसिंह पुत्र जोगसिंह दुरूस्त कर अजमालसिंह पुत्र जोगसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। शेष प्रविष्टियां यथावत दर्ज रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण–I R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)